

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103000972008

व्यवहार वाद कं.-97ए/2016

संस्थापित दिनांक-28.07.2008

1.रामाधार पुत्र इच्छाराम ब्राम्हण आयु 30 वर्ष 2.दीनानाथ पुत्र इच्छाराम ब्राम्हण आयु 37 वर्ष 3.भरत पुत्र इच्छाराम ब्राम्हण आयु 32 वर्ष 4.रामेश्वर पुत्र इच्छाराम ब्राम्हण आयु 38 वर्ष सभी का व्यवसाय खेती सभी निवासीगण ग्राम मोहनपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)	वादीगण
विरुद्ध	
1.देवसीगा पुत्र कमला रावत आयु 45 वर्ष 2.रामो पत्नी देवसीगा रावत आयु 40 वर्ष 3.लच्छू पुत्र देवसीगा रावत आयु 22 वर्ष 4.राजावेटी पत्नी लच्छू रावत आयु 20 वर्ष 5.किशना पुत्र कमला रावत आयु 40 वर्षमृत
6.तारा पत्नी किशना रावत आयु 37 वर्ष 7.शिशुपाल पुत्र किशना रावत आयु 20 वर्ष 8.पाना पुत्री किशना रावत आयु 19 वर्ष 9.रामदीन पुत्र हल्के रावत आयु 45 वर्ष 10.बिनियाबाई पत्नी हल्कू रावत आयु 60 वर्ष 11.गुडडीबाई पत्नी रामदीन रावत आयु 40 वर्ष 12.चररू पुत्र हल्कू रावत आयु 30 वर्ष 13.कुसुम पत्नी चररू रावत आयु 26 वर्ष	

14.अमरसिंह पुत्र हल्का रावत आयु 20 वर्ष
15.अंगूरीबाई पत्नी अमरसिंह रावत आयु 19 वर्ष
16.जुरउआ पुत्र फुन्दा रावत आयु 65 वर्ष
17.निरभा पुत्र जुरउआ रावत आयु 35 वर्ष
18.रत्तू पुत्र जुरउआ रावत आयु 40 वर्ष
19.मुन्ना पुत्र जुरउआ रावत आयु 30 वर्ष
20.सिन्नाम पुत्र जुरउआ रावत आयु 28 वर्ष सभी का व्यवसाय खेती एवं मजदूरी सभी निवासीगण ग्राम मोहनपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)
प्रतिवादीगण
21.मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर (म0प्र0)
फोरमल प्रतिवादी
22.नावालिग गोविंद पुत्र किशना रावत आयु 12 वर्ष नावालिग संरक्षक माँ तारा पत्नी किशना रावत
23.नावालिग हल्कीबेन पुत्री किशना रावत आयु 7 वर्ष संरक्षक माँ ताराबाई पत्नी किशना रावत निवासी ग्राम मोहनपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)
प्रतिवादीगण
वादीगण द्वारा श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री पठान अधिवक्ता।

— / / निर्णय / / —

(आज दिनांक 26.02.2018 को घोषित)

01— वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम मोहनपुर तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 28/1/ग/2 रकबा 0.955 हेक्टेयर (जिसे आगे

विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) पर स्वत्व घोषणा, कब्जा वापसी, स्थाई निषेधाज्ञा एवं क्षतिपूर्ति राशि वापिस दिलाए जाने बावत प्रस्तुत किया है।

02— प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03— वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है। वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि पर कब्जा करने के लिए आमादा रहते हैं। वादीगण के अनुसार गाव में पार्टी बंदी है जिससे प्रतिवादीगण, वादीगण से रंजिश रखते हैं और चाहते हैं कि वे गांव छोड़ दें एवं भूमि विक्रय कर दें। वादीगण ने अपने वादपत्र में अभिवचित किया है कि वे उक्त विवादित भूमि पर दिनांक 17.06.08 तक शांतिपूर्व रूप से काबिज होकर खेती करते चले आ रहे थे किंतु उक्त दिनांक को प्रतिवादीगण एक राह होकर आए और उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया तथा कब्जा बनाए हुए है तथा धमकी देते हैं कि यदि विवादित भूमि पर आए तो जान से खत्म कर देंगे।

04— वादीगण ने अपने वादपत्र में अभिवचित किया है कि प्रतिवादीगण के कब्जे से उन्हें प्रतिवर्ष बीस हजार रुपये की हानि हो रही है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण ने इस आशय की डिक्री चाही है कि उन्हें उक्त विवादित भूमि का स्वत्व आधिपत्यधारी घोषित किया जावे एवं बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से उन्हें अंतवर्ती लाभ दिलाया जावे तथा उक्त विवादित भूमि का रिक्त आधिपत्य उन्हें दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

05— उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार

वादीगण द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार उनकी वादीगण से कोई रंजिश नहीं है तथा वादीगण ने व्यवहार वाद क्रमांक 175ए/08 के परिणाम से बचने के लिए गलत वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण के अनुसार उन्होंने वादीगण को कभी जान से मारने की धमकी नहीं दी तथा उनके द्वारा किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।

06— वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :—

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादीगण ग्राम मोहनपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 28/1/ग/2 रकबा 0.955 हेक्टेयर, विवादित भूमि के स्वामित्वधारी है ?	हाँ
02.	क्या उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है ?	हाँ
03.	क्या वादीगण उक्त विवादित भूमि का कब्जा पाने के हकदार है ?	हाँ
04.	क्या वादीगण ने पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है ?	हाँ
05.	क्या न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार है ?	हाँ
06.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया गया।”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 दीनानाथ, की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही प्र0पी0 01 लगायत प्र0पी06 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 देवसिंह, प्र.सा.2 मोनी की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्र0डी01 का दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।

08— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 04,05 एवं 06 का निराकरण पृथक-पृथक से किया जा रहा है।

—:: वादप्रश्न क्रं. 01 लगायत 03 ::—

09— वा.सा. 01 दीनानाथ ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि उनके सामलाते खाते की भूमि है जिस पर वे काबिज होकर दिनांक 17.06.08 तक शांतिपूर्वक काबिज होकर खेती कर रहे थे। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादीगण ने उक्त दिनांक को लाठी के बल पर कब्जा कर लिया एवं धमकी देने लगे तथा उन्हें बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष की आय से नुकसान हो रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार वह इस भूमि का मालिक है तथा उनका दावा कब्जा दिलाए जाने के संबंध में है। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा.1 देवसिंह ने अपने कथन में बताया है कि उन्होंने वादीगण की किसी भी भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया। प्र.सा.2 मोनी ने भी अपने कथन में बताया है कि वादी एवं प्रतिवादी की दोनों की अलग-अलग भूमियां हैं। प्र.सा.1 ने अपने कथन में बताया है कि उसने सर्वे क्रमांक 28 के दो तीन बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा है। प्र.सा.2 ने भी अपने

कथन में बताया है कि सभी पक्षकार अपनी-अपनी भूमि पर खेती कर रहे हैं।

10— वा.सा.1 के अनुसार वह उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी है तथा प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित भूमि पर कब्जा कर रखा है। प्र.सा.1 एवं प्र.सा.2 की साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि उन्होंने वादीगण की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया है तथा वे अपनी-अपनी भूमियों पर काबिज हैं। उल्लेखनीय है कि वादी ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा, कब्जा वापसी, स्थाई निषेधाज्ञा एवं अंतर्वर्ती लाभ बावत प्रस्तुत किया है। वादी को यह प्रमाणित करने का भार है कि वह उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी है तथा वादी जब यह प्रमाणित कर देगा कि वह उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी है तभी वह भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य से इंकार किया है कि वे वादीगण की भूमि पर काबिज हैं। वादीगण के अनुसार दिनांक 17.06.08 को प्रतिवादीगण ने उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया था। प्र.सा.1 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने सर्वे क्रमांक 28 पर कब्जा किया हुआ है।

11— वादीगण ने प्र0पी03 का विक्रयपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किया है जो कि वर्ष 19.02.1979 का है। उल्लेखनीय है कि उक्त विक्रयपत्र के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि वादीगण ने उक्त विक्रयपत्र के माध्यम से उक्त विवादित भूमि पारीक्षित पुत्र देवी रावत के नाम से क्रय की थी। वादीगण ने उक्त विवादित भूमि से संबंधित 2006-07 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी01 एवं खतौनी प्र0पी02 अभिलेख पर प्रस्तुत की है जिनके अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त विवादित भूमि पर वादीगण का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज है। उल्लेखनीय है कि वादीगण ने प्र0पी04 का जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया है वह न्यायालय तहसीलदार का आदेश दिनांक 12.06.90 है, जिसमें यह आदेशित किया गया है कि वादीगण का नाम उक्त विवादित भूमि पर नामांतरण

हेतु स्वीकार किया गया है। इस प्रकार वर्ष 1990 के आदेश के पश्चात वर्ष 2006-07 के खसरे में भी वादीगण का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज होना दर्शित हो रहा है।

12— ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि वादीगण उक्त विवादित भूमि पर अपना स्वत्व प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जबकि वादीगण उक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी प्रमाणित हो रहे हैं तथा अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के स्वत्व की भूमि पर कब्जा किया गया है, वादीगण उक्त विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण ने अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वादीगण को बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष की हानि हो रही है। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 सकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं।

—:: वादप्रश्न क्रं.-04 ::—

13— वादीगण ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा, कब्जा वापसी, स्थाई निषेधाज्ञा एवं अंतर्वर्तीलाभ हेतु प्रस्तुत किया है। वादीगण ने जो न्याय शुल्क चशपा किया है वह न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत चशपा किया है। अतः यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण ने पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 04 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्रं.-05 ::—

14— वादीगण ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा, कब्जा वापसी, स्थाई निषेधाज्ञा एवं अंतर्वर्तीलाभ हेतु प्रस्तुत किया है। वादीगण ने घोषणात्मक वाद मय

अंतर्वर्ती लाभ की प्रार्थना सहित प्रस्तुत किया है। वादी ऐसा वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके अंतर्गत इस न्यायालय को उक्त वाद सुनने का अधिकार न हो। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 05 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्रं.—06 ::—

15— साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। एतद्वारा इस आशय की डिक्री पारित की जाती है कि वादीगण ग्राम मोहनपुर तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 28 रकबा 0.955 हेक्टेयर भूमि के स्वत्वाधिकारी है तथा वे उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादीगण के कब्जे में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करेंगे और न ही किसी अन्य के माध्यम से करावेगे।

16— वाद का संपूर्ण व्यय प्रतिवादी द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
चंदेरी, जिला अशोकनगर